FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0246 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 04/11/2024 15:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	420
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 04/09/2015 Date To (दिनांक तक): 04/09/2015
      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 17:00 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/11/2024 Time (समय): 03:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 04/11/2024 15:35:07 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 8 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): AJMER VIKASH PRADHIKRAN AJMER
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Rakesh Kumar Verma

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/01/1971 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	A-11, Golf Course Road, Vishnu Hill Town, ALWAR GATE, AJMER, RAJASTHAN, 305007, INDIA
2	स्थायी पता	A-11, Golf Course Road, Vishnu Hill Town, ALWAR GATE, AJMER, RAJASTHAN, 305007, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DIPTI SHARMA		पति:AMIT SHARMA	1. FLAT NO.102,CIVILA LINES,DEEPMALA RESIDENCY,AJMER,RAJASTHA
2	NAVNIT KUMAR SHARMA		पिता:SOHAN LAL SHARMA	1. PURANI AABADI,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
3	GRUJEET SINGH		पिता:HARCHARN SINGH ARORA	1. BEAWAR ROAD,AASHIYA NEW CHANDRA NAGAR,AJMER,RAJASTHAN,IN
4	KARAN SINGH		पिता:MOHAN SINGH	1. AAM WALA KUNWA MAKHUPURA,AJMER,RAJASTHAN,INDIA
5	DEVENDRA SINGAL		पिता:AMARNATH SINGAL	1. 76,AKYSH PATRA KE PASS,OBC COLONY,Ramnagaria,JAIPUR

				RAJASTHAN,INDIA
6	SARALA DEVI		पत्नी:AMARNATH SINGAL	1. 76,AKSHY PATARA KE PASS,OBC COLONY,Ramnagaria,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,10,435.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 2,10,435.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

प्रकरण हाजा के संक्षिप्त हालात इस प्रकार निवेदन है कि परिवादी श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रतनलाल शर्मा निवासी 37 ए मित्र नगर रातीडाग रोड, अजमेर द्वारा एक लिखित शिकायत दिनांक 03.05.2017 को श्रीमान् पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर शिकायत मे अंकित किया कि अजमेर थोक तेलीयान के खसरा नम्बर 118 मिन के प्लाट संख्या 1 का नियमन वर्ष 2002 मे स्वीकृत किया जाकर दिनांक 22.06.2002 को लीजडीड प्रस्तुत की गई। जिसमे आवेदक श्रीमती सरला देवी सिंघल एवं उनके पुत्र श्री देवेन्द्र सिंघल पुत्र श्री अमरनाथ सिंघल निवासी मकान नम्बर 336 देव भवन केशव नगर वैशाली नगर अजमेर ने उक्त भू-खण्ड के कुछ भाग 27.77 वर्ग गज पर दुकाने निर्मित होने से भू-खण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक करने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर पत्रावली जांच हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की नियोजन शाखा मे भेजी गई। नियमन शाखा द्वारा उक्त भूखण्ड का नियमन किये जाने की प्रकिया अपनाई जाकर आवेदक को उक्त भूखण्ड के भू-भाग पर निर्मित दुकाने हटाने के पश्चात ही लीज-डीड जारी होना अंकित करते हुये प्रारूप संख्या 10 मे सूचना आवेदक को पे्रषित कर दी गई तथा उक्त भूखण्ड की नियमन की कार्यवाही पत्रावली को दिनांक 20.11.2002 से ठण्डे बस्ते मे डाल दी गई। वर्ष 2015 मे श्री नवनीत शर्मा सहायक नगर नियोजक तृतीय, अजमेर विकास प्राधिकरण मे स्थानान्तरण होकर आये। उक्त भूखण्ड की पत्रावली मे दिनाक 10.03.2010 को लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ, आवेदक ने मौके से दुकाने हटाने का झूंठा शपथ पत्र पेश किया। नवनीत शर्मा ने स्वंय द्वारा मौका देखकर दुकाने हटना तस्दीक किया और बाबू करण सिंह की मदद से लीज-डीड जो पूर्व मे जारी ही नही की जा सकती थी और ना ही जारी की गई,उस लीज-डीड को पुन वैध करके दिनांक 04.09.2015 को जारी कर दी गई। उक्त लीजडीड जारी होने के सम्बन्ध मे शिकायत होने पर पुनः मौका देखने हेतु कनिष्ठ अभियन्ता को भेजा गया, जिसने दिनंाक 22.09.2015 को अपनी मौका जांच रिपोर्ट मे मौके पर दो दुकानो मे एचपी गैस की एजेन्सी चलना, एक दुकान खाली होना व 2 दुकाने के शटर व छत तोडी हुई होना अंकित किया। इन सबके बावजूद भी साईट प्लान दिनांक 09.10.2015 को जारी कर दिया गया। श्री नवनीत शर्मा ने स्थल मानचित्र जारी करते समय आनासागर सरक्यूलर रोड की चैडाई 120 फीट की जगह 100 फीट मानते हुये राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18.09.2003 की पालना नही की गई, यदि उक्त परिपत्र की पालना की जाती तो उक्त भू-खण्ड की भूमि मे से 58.66 वर्ग-गज भूमि कम हो जाती एवं सेट-बेक के नियमानुसार भू-खण्ड मे यूनिट निर्माण की जगह नही बचने से लीजडीड ही जारी नही की जा सकती थी। अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नियमन शाखा के बाबू श्री करण सिंह ने बिना लीज मनी जमा किये ही पटटा जारी कर दिया। शहरी जमाबन्दी अगस्त, 2015 की जगह मार्च, 2016 मे जमा कर आवेदक को छूट का लाभ दिया। नवनीत शर्मा ने बिना क्षेत्राधिकार के नक्शा पास किया इस प्रकार अजमेर विकास प्राधिकारण को राजस्व की हानि हुई। अजमेर विकास

प्राधिकरण, अजमेर मे व्याप्त भ्रष्टाचार एंव 13 साल से बन्द पत्रावली को 13 दिन मे शुन्य मुल्य के भू-खण्ड से 2.50 करोड रूपये की हानि पहुचाकर राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान पहुचाये जाने के सन्दर्भ मे शिकायत पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवाद के पत्रांक 4771-72 दिनांक 15.05.2017 से परिवाद संख्या 133/2017 दिनांक 15.05.2017 दर्ज होकर वास्ते जांच हेतु चौकी हाजा पर प्राप्त हुआ। जिसकी जांच तत्कालीन जांच अधिकारी श्री पारसमल पुलिस निरीक्षक, श्री भोलाराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, एस.यू. अजमेर द्वारा की गई। जिनका स्थानान्तरण होने के पश्चात उक्त परिवाद वास्ते जांच मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्राप्त हुआ। दौराने जांच अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से आवेदक श्री देवेन्द्र कुमार सिंघल के भूखण्ड खसरा न.118 मे स्थित 200 वर्ग गज भूमि के नियमन से सम्बन्धित मूल पत्रावली की फोटो प्रतियां प्राप्त कर शामिल जांच की गई प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने पर गवाह श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री अनुराग मिश्रा, श्री प्रेम चन्द कनौजिया आदि के बयान लिये जाकर शामिल जांच किये गये। परिवाद जांच मे आरोपित श्री नवनीत कुमार शर्मा, श्री देवेन्द्र कुमार सिंघल, श्री करण सिंह कनिष्ठ सहायक, श्रीमती दीप्ति शर्मा उपायुक्त, श्री गुरजीत सिंह कनिष्ठ प्रारूपकार अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का स्पष्टीकरण लिया जाकर शामिल जांच किया गया। जांच मे संकलित किये गये दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्यो एवं गवाहान बयानात तथा आरोपितो के स्पष्टीकरण से पाया गया कि दिनांक 01.08.1998 को आवेदक श्री देवेन्द्र कुमार सिंघल एवं उसकी माता श्रीमती सरला देवी सिंघल पत्नि श्री अमरनाथ सिंघल द्वारा ग्राम थौक तेलियान के खसरा न. 118 मे स्थित 221.16 वर्ग गज भूमि का एक अर्द्ध-विकसित भूखण्ड 71,400 रूपये मे जरिये विक्रय पत्र क्रय किया गया, उक्त भूखण्ड क्रय करते समय पूर्ण रूप से खाली अवस्था मे था। श्री देवेन्द्र कुमार सिंघल द्वारा उक्त भूखण्ड पर 5 दूकानो का निर्माण करवाकर 2 दूकाने स्वयं की स्टैशनरी की दूकान चलाने तथा दो दूकानो को एचपी गैस एजेन्सी संचालित कर किराये पर दी गयी, तथा शेष एक दूकान खाली होना मोके पर संचालित थी एवं शेष भूमि खाली अवस्था मे पडी हुई थी। वर्ष 2000 मे भूखण्ड का नियमन करवाये जाने हेतु आवेदक श्री देवेन्द्र कुमार सिंघल एवं उसकी माता श्रीमीती सरला देवी सिंघल द्वारा नियमन पत्रावली दिनांक 20.03.2022 को एकल खिडकी के माध्यम से प्रपत्र 15 मे लीज-डीड जारी करने हेतु नगर सुधार न्यास, अजमेर मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा प्रक्रियानुसार भूखण्ड स्थल का मौका जांच रिपोर्ट करवाई जाकर भूखण्ड मे 27.77 वर्गगज भूमि मे दूकाने निर्मित होने से व्यवसायिक उपयोग लिया जाना अवगत करवाया गया तथा भूखण्ड के 27.77 वगर्गज भूमि के व्यवसायिक होने से अतिरिक्त राशि जमा करवाये जाने हेतु भूखण्डधारी आवेदक को एक पत्र जारी किया गया। पत्र की पालना मे आवेदक ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार अतिरिक्त राशि जमा कराने की सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात कार्यालय एवं मौका जांच की जाकर निर्णित मानकर आवेदक को 20172 रूपये जमा करवाये जाने का मांग पत्र जारी किया गया। मांग पत्र के अनुसार अंकित राशि आवेदक द्वारा तत्समय मे ही जमा करवा दी गई। अजमेर विकास प्राधिकरण की नियमन शाखा द्वारा भूखण्ड की लीजडीड जारी करने हेतु प्रकरण को जांच हेतु डीटीपी शाखा मे प्रेषित किया गया। जिस पर नगर सुधार न्यास अजमेर की डीटीपी शाखा द्वारा अपनी नोटशीट की पैरा संख्या 01 से 03 मे दिनांक 02.10.2002 के फ्लेग " बी " मे यह टिप्पणी अंकित की गई कि आवेदक श्री देवेन्द्र सिंघल द्वारा दुकाने हटाने के पश्चात ही लीज-डीड जारी करना उचित होगा, उक्त टिप्पणी नोटशीट के पैरा संख्या 02 मे अंकित है। नोटशीट के पैरा संख्या 3 एन के अनुसार प्रकरण वास्ते परीक्षण हेतु डीटीपी को पेश किया गया। जिस पर तत्कालीन एटीपी द्वारा नोटशीट के पैरा संख्या 5 दिनांक 02.10.2002 मे टिप्पणी अंकित की कि भूखण्ड का व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तत करवाये जाने के पश्चात ही साईड प्लान जारी किया जाना उचित होगा। जिसकी सूचना आवेदक को नगर सुधार न्यास अजमेर के निर्धारित प्रारूप संख्या 10 मे तैयार कर प्रेषित की गई। इस प्रकार श्री देवेन्द्र सिंघल एवं श्रीमती सरला देवी सिंघल के उक्त खसरा 18 मे स्थित भूखण्ड का स्थल मानत्रित व लीज-डीड बाद प्रारूप संख्या 10 की सूचना प्रेषित किये जाने के उपरान्त किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाना अंकित नही है। श्री देवेन्द्र सिंघल को उक्त भूखण्ड की किसी प्रकार की कोई लीजडीड जारी नही की गई है, जो नगर सुधार न्यास अजमेर के द्वारा प्रेषित उक्त भूखण्ड की पत्रावली के नोटशीट के पैरा संख्या 01 से 8 तक से स्पष्ट है। दिनांक 20.11.2002 के पश्चात दिनांक 25.08.2015 को करीब 13 वर्ष पश्चात श्री देवेन्द्र सिंघल एवं श्रीमती सरला देवी द्वारा उक्त भूखण्ड की लीज-डीड चाहने हेतु एक आवेदन पत्र पेश कर एक 10 रूपये का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ अंकित कर अजमेर नगर सुधार न्यास को पेश किया कि उक्त भूखण्ड पर वर्तमान मे दूकानो का निर्माण हटा लिया गया है, जिसके आधार पर मौका निरीक्षण कर हमे आवासीय पट्टा जारी किया जावे तथा नियमन की राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। आवेदक द्वारा उक्त शपथ पत्र दिनांक 24.08.2015 को जरिये नोटेरी करवाकर नगर सुधार न्यास, अजमेर को पेश किया गया। उक्त प्रेषित प्रार्थना पत्र पर श्री करण सिंह कनिष्ठ सहायक नगर सुधार न्यास, अजमेर के द्वारा उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली की नोटशीट के पैरा संख्या 09 पर टिप्पणी अंकित कर उपायुक्त महोदय तत्कालीन श्रीमती दीप्ति शर्मा के समक्ष दिनांक 25.08.2015 को प्रस्तुत की गई। उपायुक्त श्रीमती दीप्ति शर्मा द्वारा उक्त मूल पत्रावली वास्ते मानचित्र जांच हेतु एटीपी तृतीय श्री नवनीत शर्मा को भिजवाई गई। श्री नवनीत शर्मा ने दिनांक 31.08.2015 को भूखण्ड की मौका रिपोर्ट/निरीक्षण कर अपनी टिप्पणी मे मौका देखा जाकर आवेदक द्वारा मोके पर निर्मित वाणिज्यिक निर्माण हटा लिया गया है। मौके की फोटो संलग्न कर मानचित्र जांच

प्रस्तुत करें, कि टिप्पणी श्री नवनीत शर्मा द्वारा नोटशीट के पैरा संख्या 11 दिनांक 31.08.2015 पर की है, जो नोटशीट से स्पष्ट प्रमाणित है। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते स्थल मानचित्र जांच हेतु तत्कालीन सर्वेयर श्री गुरजीत सिंह को प्रस्तुत की गई। जिस पर श्री गुरजीत सिंह ने दिनांक 01.09.2015 को सम्बन्धित आवेदक द्वारा पत्रावली मे संलग्न प्रस्तुत स्थल के मानचित्र की जांच कर पुनः पत्रावली श्री नवनीत शर्मा एटीपी को प्रस्तुत कर दी गई। स्थल मानचित्र के अनुसार उक्त भूखण्ड 221.66 वर्ग गज का होकर भूखण्ड के उत्तर दिशा मे 10 फीट पूर्व मे 15 फीट तथा दक्षिण मे 10 फीट एवं पश्चिम मे 0 सेड-बैक रखा जाकर भूखण्ड के सडक के मध्य से 50 फीट दर्शाकर मानचित्र जांच कर साईट प्लान वास्ते हस्ताक्षर श्री नवनीत शर्मा के समक्ष पेश की गई। जिस पर नवनीत शर्मा ने दिनांक 01.09.2015 को उक्त साईट प्लान पर अपने हस्ताक्षर कर दिनांक 01.09.15 को ही मूल पत्रावली नियमन शाखा को प्रेषित कर दी। जांच के दौरान सडक के मध्य से 50-50 फीट कुल 100 फीट मानकर मानचित्र जारी करने के संबंध मे सर्वेयर श्री गुरजीत सिंह से पूछताछ मे ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण मे लीज-डीड वर्ष 2002 मे जारी किया जाना मानकर सडक के मध्य की दूरी 50-50 फीट मानकर 100 फीट के हिसाब से मानचित्र जारी किया गया है। सडक के मध्य 50-50 फीट मानकर 100 फीट के सन्दर्भ मे अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के श्री अनुराग मिश्रा सहायक नगर नियोजक ने अपने बयानो मे बताया कि उक्त प्रकरण मे 100 फीट की दूरी मानकर साईट प्लान दिनांक 03.09.2015 को जारी किया हुआ है, जो गलत है, जबकि वर्ष 2015 मे नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक 2002 दिनांक 18.09.2003 के अनुसार मास्टर प्लान मे उक्त भूखण्ड के पास स्थित भूमि आनासागर सरक्यूलर रोड की 120 फीट चैडाई रोड सेन्टर से 60-60 फीट सुनिश्चित किया जाने के आदेश परिपत्र मे निहित है। उक्त परिपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री नवनीत शर्मा एटीपी एवं सर्वेयर श्री गुरजीत सिंह द्वारा जो साईट प्लान जारी किया गया है वह 120 फीट का जारी नही कर मात्र 100 फीट का मानकर साईट प्लान जारी किया है। तत्कालीन एटीपी श्री नवनीत शर्मा व सर्वेयर श्री गुरजीत सिंह द्वारा नियमो की अनदेखी कर गलत रिपोर्ट अंकित कर साईट प्लान जारी किया जाकर सम्बन्धित आवेदक श्री देवेन्द्र कुमार सिंघल व श्रीमती सरला देवी को फायदा पहुचायां है। श्री नवनीत शर्मा एवं सर्वेयर श्री गुरजीत सिंह के द्वारा साईट प्लान जारी करने की अनुशंषा नोटशीट के पैरा संख्या 11 से 13 मे स्पष्ट प्रमाणित है। श्री करण सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा दिनांक 02.09.2015 को प्रार्थी के उक्त भूखण्ड की लीजडीड पुनः वैध करने हेतु प्रार्थी से आवेदन पत्र प्राप्त कर भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गगज से अधिक होने का मानकर 1,000 रूपये का मांग पत्र तैयार कर वास्ते हस्ताक्षर तत्कालीन उपायुक्त श्रीमती दीप्ति शर्मा के समक्ष पेश किया गया जो नोटशीट के पैरा संख्या 14,15 पर टिप्पणी अंकित है। नोटशीट के पैरा संख्या 16 के अनुसार मांग पत्र की राशि जमा करवाये जाने के उपरान्त आवेदक को लीजडीड दिनांक 03.09.2015 को जारी कर दी गई। उक्त आलोच्य जांच के प्रकरण मे कही पर भी उक्त भूखण्ड की पूर्व मे कोई लीजडीड जारी नही किया जाना पाया गया हैं, फिर भी श्री करण सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा आवेदक श्री देवेन्द्र कुमार को लीजडीड पुनः वैध करवाये जाने की सील अंकित कर तत्कालीन उपायुक्त श्रीमती दीप्ति शर्मा के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक को वर्ष 2002 की लीजडीड मानते हुए दिनांक 03.09.2015 को लीजडीड जारी करवा दी गई जबकि उक्त लीजडीड पूर्व मे उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर वर्ष 2002 मे जारी ही नही की गई है। श्री करण सिंह द्वारा आवेदक श्री देवेन्द्र सिंघल से आपस मे मिलीभगती कर षडयन्त्र पूर्वक उक्त लीजडीड जारी किया जाना जांच मे पाया गया है। लीजडीड व साईट प्लान जारी करने के पश्चात दिनांक 08.09.2015 को श्री अमृत पाल सिंह व श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री पुरूषोतम दाधीच द्वारा उक्त भूखण्ड के गलत नियमन करने व साइर्ट प्लान जारी करने के सम्बन्ध मे अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को भूखण्ड से संबंधित दस्तावेजात सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कराकर एक लिखित शिकायत पेश की गई। उक्त शिकायत पर सम्बन्धित को दिनांक 09.09.2015 को दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये। श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नि श्री पुरूषोतम दाधीच के द्वारा की गई शिकायत मे उक्त भूखण्ड पर उक्त अवधि मे ही व्यवसायिक गतिविधिया संचालित होकर उक्त भूखण्ड पर पांच दूकाने बनी होकर दो दूकानो मे एचपी गैस का कार्यालय चलना बताया। दिनांक 17.09.2015 को श्रीमती दीप्ति शर्मा उपायुक्त के समक्ष उक्त शिकायत पेश करने पर भूखण्ड की मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु कनिष्ठ अभियन्ता श्री पंकज कुशवाह को निर्देश दिये गये। श्री पंकज कुशवाह ने भूखण्ड का मौका देखकर शिकायत का सत्यापन करने पर उक्त भूखण्ड पर दो दूकानो मे एचपी गैस की एजेन्सी संचालित होना व एक दूकान खाली तथा दो दूकानो का शटर व छत तोडी होना बताकर कुल पांच दूकाने निर्मित होकर व्यवसायिक गतिविधिया संचालित होने की मौका रिपोर्ट अपनी कार्यालय नोटशीट पैरा संख्या 23 पर टिप्पणी अंकित की। उक्त रिपोर्ट उपायुक्त श्रीमती दीप्ति शर्मा के समक्ष प्रस्तुत की गई। .जिस पर दिनांक 30.09.2015 को उपायुक्त श्रीमती दीप्ति शर्मा द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता श्री पंकज कुशवाह द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को अनदेखी कर मूल शिकायत को परे रखकर भूखण्ड का पूर्व मे जारी साईट प्लान मे सैड-बैक की त्रूटि होने के कारण नया साईट प्लान पेश करने हेतु आवेदक को अवगत करवाया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.10.2015 को संशोधित स्थल मानचित्र पेश किया जिसके अनुसार भूखण्ड का पुनः रिवाईज नक्शा पश्चिम दिशा मे 05 फीट जगह छोडते हुए 100 फीट रोड का मानकर जारी किया गया। उक्त जारीशुदा स्थल मानत्रित रिवाईज पर बतौर एटीपी श्री नवनीत शर्मा व प्रारूपकार के रूप मे श्री गुरजीत सिंह के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त भूखण्ड का जो नक्शा अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है वह आवासीय भूमि होना मानकर किया है। जिसमे अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा पट्टा धारक श्री देवेन्द्र कुमार सिंघल व उनकी माता सरला सिंघल को खसरा

नम्बर 118 थोक तेलियान के भूखण्ड क्षेत्रफल 221.67 वर्गगज भूमि को आवासीय पट्टा जारी करते समय वर्ष 2002 की नियमन राशि 81 रूपये प्रति वर्ग गज मानकर कुल 17,955 रूपये जमा की गई है। करीब 13 वर्ष पश्चात वर्ष 2015 मे उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी नही हाने के उपरान्त भी पट्टा पुनः वैघ करवाये जाने पर लीज डीड जारी करने पर दिनांक 25.02.02 से 31.03.2015 तक बकाया लीज राशि कुल 169427 रूपये वसूल किये गये है। इस प्रकार उक्त भूखण्ड को आवासीय मानकर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक से कुल 1,87,382 रूपये की राशि वसूल की गई है। जांच रिपोर्ट मे उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर नोटशीट के पैरा संख्या 02 से 06, 22,23,27 के अनुसार उक्त भूखण्ड पर व्यवसायिक गतिविधियां सचालित होना पाई गई है तथा तत्समय मे भूखण्ड मास्टर प्लान के अनुसार व्यवसायिक होना पाया गया है। परन्तु श्रीमती दीप्ति शर्मा उपायुक्त, श्री नवनीत शर्मा सहायक नगर नियोजक, श्री गुरजीत सिंह प्रारूपकार व श्री करण सिंह कनिष्ठ सहायक अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा आपस मे आवेदक श्री देवेन्द्र सिंघल व श्रीमती सरला देवी सिंघल से मिलीभगती कर षडयन्त्रपूर्वक गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करवाकर दुकाने हटाने का पेश करवाकर अपनी गलत टिप्पणी नोटशीट मे अंकित कर उक्त भूखण्ड को व्यवसायिक से आवासीय होना बताकर 1,87,382 रूपये की राशि बतौर लीज-डीड आवेदक से जमा करवाई गई, जबकि उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान व नोटशीट मे अंकित टिप्पणी, श्री अनुराग मिश्रा सहायक नगर नियोजक, श्री प्रेम चन्द कनोजिया सहायक लेखाधिकारी के बयानो के अनुसार उक्त भूखण्ड व्यवसायिक होना पाया गया है। जिसके अनुसार श्री प्रेमचन्द्र कनोजिया सहायक लेखाधिकारी के बयानो के आधार पर उक्त भूखण्ड पर तत्समय मे व्यवसायिक लीजडीड जारी करने पर आवासीय/व्यवसायिक दर का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से वसूल किया जाना अवगत कराया क्र.स मद आवासीय भूखण्ड पर ली गई राशि यदि व्यवसायिक भूखण्ड मानकर ली गई राशि अन्तर विवरण 01 02 03 04 05 06 01 नियमन 81 रूपये प्रति वर्ग गज 17955 71820 53865 व्यवसायिक दर आवासीय का चार गुणा 02 लीज राशि 836/-प्रति गज 60673 121346 60673 व्यवसायिक लीज आवासीय की दुगुनी दर से 03 ब्याज राशि 12 प्रतिशत 58833 117666 58833 लीज राशि दुगुनी होने से ब्याज राशि भी दुगुनी 04 एक मुश्त लीज राशि (लीज राशि का 8 गुणा) 37064 74128 37064 व्यवसायिक लीज राशि दुगुनी देय है। 05 अवधि विस्तार 10640 10640 - 06 हस्तान्तरण शुल्क 2217 2217 - योग 187382 397817 210435 उपरोक्त तुलनात्मक विवरण के अनुसार भूखण्डधारी श्री देवेन्द्र कुमार सिंघल एवं श्रीमती सरला देवी द्वारा ग्राम थोक तेलियान के खसरा नम्बर 118 मे स्थित भूखण्ड 221.67 वर्गगज भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने के उपरान्त भी फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड को आवासीय होना बताया जाकर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के तत्कालीन उपायुक्त श्रीमती दीप्ति शर्मा, श्री नवनीत शर्मा तत्कालीन सहायक नगर नियोजक तृतीय, श्री गुरजीत सिंह प्रारूपकार, श्री करण सिंह कनिष्ठ सहायक अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर आपस मे मिलीभगती कर षडयन्त्र पूर्वक झुठा शपथ पत्र, फोटो ग्राफ्स पेश कर भूखण्ड को व्यवसायिक होने के उपरान्त भी आवासीय राशि 187382 रूपये वसूल की गई है, जबकि उक्त भूखण्ड की लीजडीड वर्ष 2015 मे जारी की गई है तथा उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान, मौका रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायिक होना पाये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त अधिकारीगणों द्वारा आवासीय राशि वसूल की गई जबकि उक्त भूखण्ड की वास्तविक व्यवसायिक राशि 3,97,817 रूपये वसूल की जानी थी, जो वसूल नही कर राजकोष को करीब 2,10,435 रूपये का आर्थिक हानि पहुंचाई जाना प्रमाणित है। प्रकरण में संकलित किये गए दस्तावेजी साक्ष्यों, मौखिक साक्ष्यों, गवाहान बयानात के विश्लेषण से पाया गया है कि श्रीमती दीप्ति शर्मा तत्कालीन उपायुक्त, श्री नवनीत शर्मा तत्कालीन सहायक नगर नियोजक(तृतीय), श्री गुरजीत सिंह प्रारूपकार(संविदाकर्मी) द्वारा लाभार्थी श्री देवेन्द्र कुमार सिंघल व श्रीमती सरला देवी सिंघल के ग्राम थोक तेलियान के खसरा नम्बर 118 मे स्थित भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 221.67 वर्गगज भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने तथा साईट प्लान मे सडक के मध्य से 50-50 फीट की दूरी होना मानकर कुल 100 फीट सडक छोडकर साईट प्लान जारी कर लाभार्थीगण से झुठा शपथ पत्र प्राप्त कर आपस मे मिलीभगती कर षडयन््त्र रचकर लाभार्थीपक्ष के झूठे शपथ पत्र एवं भूखण्ड स्थल की फोटो को तस्दीक कर झूठी रिपोर्ट के आधार पर झूठा स्थल मानचित्र जारी किया एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18.09.2003 के अनुसार आनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर की 120 फीट चैडाई सडक के मध्य से 60-60 फीट सुनिश्चित करने की अवहेलना कर सडक के मध्य से 50-50 फीट मानकर स्थल मानचित्र स्वीक्त कर राज्य सरकार के परिपत्र की अवहेलना कर लाभार्थी को फायदा पहुचायां गया है। उक्त कार्य मे श्री करण सिंह कनिष्ठ सहायक अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा लाभार्थी पक्ष को दिनांक 04.09.2015 को भूखण्ड की लीज-डीड पूर्व मे वर्ष 2002 मे ही जारी होना मानकर पुनः वैध करने की टिप्पणी अंकित की है। इस प्रकार आरोपी श्रीमती दीप्ति शर्मा तत्कालीन उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर हाल अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, श्री नवनीत शर्मा तत्कालीन सहायक नगर नियोजक(तृतीय) हाल सेवानिवृत, श्री गुरजीत सिंह प्रारूपकार (संविदाकर्मी), श्री करण सिंह कनिष्ठ सहायक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर आपस मे मिलीभगती कर षडयन्त्र पूर्वक झुठा शपथ पत्र, फोटो ग्राफ्स पेश कर भूखण्ड को व्यवसायिक होने के उपरान्त भी आवासीय राशि 1,87,382 रूपये वसूल की गई है, जबकि उक्त भूखण्ड की लीजडीड वर्ष 2015 मे जारी की गई है। उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान, मौका रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायिक होना पाये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त अधिकारीगणों द्वारा आवासीय राशि वसूल की गई जबकि उक्त भूखण्ड

की वास्तविक व्यवसायिक राशि 3,97,817 रूपये वसूल की जानी थी, जो वसूल नही कर राजकोष को करीब 2,10,435 रूपये का आर्थिक हानि पहुंचाई जाना प्रमाणित है,जिनका उक्त कृत्य अपराध अंर्तगत धारा 13 (1) (डी) 13 (2) पी सी एक्ट 1988 एंव 420, 120 बी भा.द.स. का बनना पाया जाता है। अत आरोपित (1) श्रीमती दीप्ति शर्मा पत्नि श्री अमित शर्मा उम्र 41 साल जाति ब्राहम्ण निवासी श्री एन0पी0 शर्मा, मकान नं0 1765/13 टावर रोड सुभाष नगर, अजमेर हाल निवासी फ्लैट नम्बर 102, दीपमाला रेजीडेन्सी सिविल लाईन्स अजमेर, तत्कालीन उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर हाल अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर (2) श्री नवनीत कुमार शर्मा पुत्र श्री सोहन लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 65 साल निवासी मकान नम्बर 154 रमा विहार भीलवाडा हाल निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तत्कालीन सहायक नगर नियोजक तृतीय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर हाल सेवानिवृत (3) श्री गुरजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरचरण सिंह अरोडा उम्र 57 साल, जाति सिक्ख निवासी आशियां न्यू चन्द्र नगर ब्यावर रोड पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर हाल संविदाकर्मी/सर्वेयर, कनिष्ठ प्रारूपकार अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर (4) श्री करण सिंह पुत्र स्व. श्री मोहन सिंह जाति रावत उम्र 29 साल निवासी आम वाला कुआं माखुपुरा पुलिस थाना आदर्श नगर जिला अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर (5) श्री देवेन्द्र सिंघल पुत्र श्री अमरनाथ सिंघल, उम्र 57 वर्ष निवासी मकान नम्बर 336 देव भवन केशव नगर वैशाली नगर अजमेर हाल निवासी मकान नम्बर 76 ओबीसी कालोनी अक्षय पात्र के पास पुलिस थाना रामनगरीया, जगतपुरा जयपुर (लाभार्थी) (6) श्रीमती सरला देवी सिंघल पत्नि श्री अमरनाथ सिंघल उम्र 77 वर्ष निवासी मकान नम्बर 336 देव भवन केशव नगर वैशाली नगर अजमेर हाल निवासी मकान नम्बर 76 ओबीसी कालोनी अक्षय पात्र के पास पुलिस थाना रामनगरीया, जगतपुरा जयपुर के विरूद् धारा 13 (1) (डी) 13 (2) पी सी एक्ट 1988 एंव 420, 120 बी भा.द.स. का कारित किया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र0नि0ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (राकेश कुमार वर्मा) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर।..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13 (1) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एंव 420, 120 बी भा.द.स. में आरोपीगण (1) श्रीमती दीप्ति शर्मा पत्नि श्री अमित शर्मा उम्र 41 साल जाति ब्राहम्ण निवासी श्री एन0पी0 शर्मा, मकान नं0 1765/13 टावर रोड सुभाष नगर, अजमेर हाल निवासी फ्लैट नम्बर 102, दीपमाला रेजीडेन्सी सिविल लाईन्स अजमेर, तत्कालीन उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर हाल अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर (2) श्री नवनीत कुमार शर्मा पुत्र श्री सोहन लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 65 साल निवासी मकान नम्बर 154 रमा विहार भीलवाडा हाल निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तत्कालीन सहायक नगर नियोजक तृतीय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर हाल सेवानिवृत (3) श्री गुरजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरचरण सिंह अरोडा उम्र 57 साल, जाति सिक्ख निवासी आशियां न्यू चन्द्र नगर ब्यावर रोड पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर हाल संविदाकर्मी/सर्वेयर, कनिष्ठ प्रारूपकार अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर (4) श्री करण सिंह पुत्र स्व. श्री मोहन सिंह जाति रावत उम्र 29 साल निवासी आम वाला कुआं माखुपुरा पुलिस थाना आदर्श नगर जिला अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर (5) श्री देवेन्द्र सिंघल पुत्र श्री अमरनाथ सिंघल, उम्र 57 वर्ष निवासी मकान नम्बर 336 देव भवन केशव नगर वैशाली नगर अजमेर हाल निवासी मकान नम्बर 76 ओबीसी कालोनी अक्षय पात्र के पास पुलिस थाना रामनगरीया, जगतपुरा जयपुर (लाभार्थी) (6) श्रीमती सरला देवी सिंघल पत्नि श्री अमरनाथ सिंघल उम्र 77 वर्ष निवासी मकान नम्बर 336 देव भवन केशव नगर वैशाली नगर अजमेर हाल निवासी मकान नम्बर 76 ओबीसी कालोनी अक्षय पात्र के पास पुलिस थाना रामनगरीया, जगतपुरा जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री दीनदयाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 08 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1339-45 दिनांक 04-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2- शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3- सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।4- अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर। 5-उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 6-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर । 7- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि. , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर (परिवाद संख्या 133/2017) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DEENDAYAL VAISHNAV **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	18/10/1982				
2	Male	1959				
3	Male	15/11/1965				
4	Male	21/03/1995				
5	Male	1967				
6	Female	1947				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)